

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 16375 वर्ष 2025

गफूर खान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता

: रमेश चंद्र अग्रहरि

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र अग्रहरि और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. चूँकि पक्षों के बीच प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर शपथपत्र का आदान-प्रदान हो चुका है। अधिवक्ताओं के संयुक्त अनुरोध पर, रिट याचिका पर आरंभिक चरण में विचार किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह ग्राम गुसियारी, थाना मौदाहा, जिला हमीरपुर का स्थायी निवासी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी नियुक्ति झांसी/बाराबंकी स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल पुलिस आरक्षी के पद पर हुई थी और उसके बाद उसे सिविल पुलिस के प्रधान आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद 31.08.2022 को उसे उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और पुलिस स्टेशन- मानिकपुर, जिला चित्रकूट में तैनात किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 31.08.2026 को सेवानिवृत्त हो जायेगा। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि वह हृदय रोगी है और इस संबंध में उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। 07.06.2024 को, द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, जिला प्रयागराज ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण चित्रकूट से प्रयागराज कर दिया, इसी को रिट याचिका संख्या 9385 वर्ष 2025 में चुनौती दी गई थी, जिसमें 11.07.2025 के स्थानांतरण पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश



पारित किया गया था। इसके बाद, 05.08.2025 को 07.06.2024 के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण को विनियमित करने वाली 06.05.2025 की एक स्थानांतरण नीति विद्यमान है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि धारा 5(वी) के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपने ही जिले में स्थानांतरण और तैनाती के लिए अनुरोध किया है और पहले के कार्यकाल में गृह जिले में बिताई गई अवधि को इसमें नहीं गिना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपने ही जिले यानी चित्रकूट में तैनाती के लिए दावा किया था, हालांकि, अब याचिकाकर्ता का दावा दूसरे प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज द्वारा दिनांक 27.09.2025 को पारित आदेश के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

4. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के खंड 5(वी) में ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने पर अपने गृह जिले में स्थानांतरण का अनुरोध कर सकता है और अपने जिले में पहले से व्यतीत सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता ने अपने गृह जिले में काफी समय तक सेवा की हो, यह याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन वह अपने गृह जिले में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वह ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी वहीं करवा सकता है और इस संबंध में चिकित्सा केंद्र के अस्पताल में भी जा सकता है।

6. श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से क्षेत्राधिकारी, नगर, चित्रकूट द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र दिनांक 24.11.2025 में किए गए कथनों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 11.07.1986 का एक परिपत्र विद्यमान है जिसके प्रस्तर 2 में ही यह प्रावधान है कि कोई भी उप निरीक्षक किसी जोन में 12 वर्ष से अधिक और किसी जनपद में 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है और इसके अलावा, दिनांक 13.12.2014 के एक अन्य परिपत्र पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त स्थिति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पालन किया गया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता बांदा में (जो चित्रकूट धाम जोन के अंतर्गत आता है) 27.03.1998 से 29.05.2011 तक 13 वर्षों की अवधि के लिए, चित्रकूट जिले में 06.06.2011 से 31.08.2012 तक एक वर्ष की अवधि के लिए और फिर चित्रकूट में 28.08.2013 से 16.08.2025 तक 12 वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत रहे। इस प्रकार उक्त क्षेत्र में उनका कार्यकाल लगभग 26 वर्षों का है, जो 12 वर्षों से अधिक है, अतः उनका मामला परिपत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज वह स्थान है जहाँ याचिकाकर्ता वर्तमान में कार्यरत हैं और जहाँ चित्रकूट की तुलना में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

7. मैंने इस प्रकार की गई सम्बंधित दलील सुनी है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति लागू होगी और दिनांक 11.07.1986, 24.07.2015 और 13.12.2014 के परिपत्रों को अध्यारोहित करेगी या नहीं। स्थानांतरण नीति दिनांक 06.05.2025 का खंड 5(वी) इस प्रकार है:

"वी. 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद और समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। इसके लिये पूर्व में उस मंडल जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में न लिया जाये।"

9. पुलिस परिपत्र दिनांक 11.07.1986/13.12.2014 निम्नानुसार है:

"किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवाकाल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाये। उपनिरीक्षक एक जनपद में 08 वर्ष से अधिक तथा निरीक्षक को एक जनपद में 05 वर्ष से अधिक नियुक्त न रखा जाये। निरीक्षक हेतु इस अवधि में उसके उपनिरीक्षक की सेवा अवधि का काल सम्मिलित होगा। यही प्रक्रिया उपनिरीक्षक की सेवा अवधि के लिये भी लागू होगी। उन जनपदों में भी नियुक्ति नहीं होगी जहाँ उनकी अचल संपत्ति है।"

10. महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनांक 11.07.1986 और 13.12.2014 के परिपत्रों में जोन या जनपद में उप निरीक्षक के अधिकतम कार्यकाल की अवधि क्रमशः 12 वर्ष और 5 वर्ष निर्धारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई है, हालांकि, दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के खंड 5(वी) में एक ऐसी स्थिति का उल्लेख है जिसमें राज्य सरकार के समूह ग और घ कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने पर अपने गृह जिले में स्थानांतरण का अनुरोध करते हैं, और इस स्थिति में गृह जिले में की गई सेवाओं को अनदेखा करते हुए उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा। मूल रूप से, याचिकाकर्ता 31.08.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है और वह अपने जिले में स्थानांतरण चाहता है। स्पष्ट रूप से खंड 5(वी) उन कर्मचारियों की श्रेणी को स्पष्ट करता है जो दो वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अपने गृह जिले में स्थानांतरण चाहते हैं, जिसमें गृह जिले में पहले किए गए कार्य को नहीं गिना जाएगा। उक्त लाभ केवल समूह ग और घ पदों पर लागू होता है, समूह क और ख पदों पर नहीं। ध्यान देने योग्य है कि उप निरीक्षक का पद समूह ग का पद है, क्योंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, यह न तो समूह क का पद है और न ही समूह ख का। ऐसी स्थिति में, दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति लागू होगी। पुलिस विभाग के दिनांक 11.07.1986 और 13.12.2014 के परिपत्रों के संबंध में, वे उन परिस्थितियों से संबंधित हैं जिनमें सामान्यतः एक पुलिस आरक्षी या उप निरीक्षक को किसी जोन में 12 वर्ष और जिले में 5 वर्ष से अधिक समय तक तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उक्त परिपत्रों में ऐसी किसी परिस्थिति की परिकल्पना या प्रावधान ही नहीं है, जिसमें सेवानिवृत्ति मात्र 2 वर्ष के भीतर हो और जिसमें पहले से व्यतीत अवधि को गिना न जाए। जहां तक आक्षेपित आदेश में लिए गए दूसरे आधार का संबंध है कि प्रयागराज में चित्रकूट की तुलना में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं, इस संबंध में याचिकाकर्ता को निर्णय लेना होगा क्योंकि वह जोखिम में है।

11. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता और मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, याचिका **स्वीकार की जाती है**। द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2025 को रद्द किया जाता है और मामले को संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करे।

12. आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।